न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा खेताय व रेकर्ड दुरूस्ती

संख्या :– 139/2015 (174/07)

वादी	प्रतिवादीगण
श्रीमति मैनादेवी धर्म पत्नी श्री हरलालजी जाति भाट निवासीनी श्रीबालाजी तह. नागौर (राज.)	1. जनरल मेनेजर, उत्तर पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, जयपुर 2. मेनेजर, जोधपुर मण्डल, उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर 3. जिला कलक्टर, नागौर

वकील वादी
श्री अर्जुन दास

वकील प्रतिवादीगण
श्री कन्हैयालाल सुथार

निर्णय दिनांक :– **26.02.2021**

1– वादीनी की ओर से निम्न वाद पेश किया गया :–

1. यह हैं कि खेत ख.न. 128 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा व ख.न. 437 रकबा 7 बीघा वाके मौजा श्रीबालाजी स्थित है जो ख.न. 437, ख.न. 190 से बना है व ख.न. 128 पूर्व ख.न. 189 व ख.न. 65 व 70 से बना है पूर्व में यह खेताय देवा पुत्र केसा जाति कुम्हार निवासी श्रीबालाजी की खातेदारी के थे। देवाराम ने अपनी तमाम चल अचल संपति की वसीयत श्रीमति मैना पत्नी हरलाल के नाम से करदी थी।
2. यह है कि देवाराम द्वारा वादीनी मैना के पक्ष में जो वसीयत की गयी थी उस वसियत से जिला न्यायाधीश मेड़ता में जरिए प्रकरण सं. 72/73 के तारीख 02.12.1974 को जिला न्यायाधीश मेड़ता ने वादीनी के नाम से प्रोबेट जारी कर दी जो आज दिन कायम है व इसके विरूद्ध कोई अपील व रिविजन नही हुई व वादीनी देवा पुत्र केसा जाति कुम्हार की तमाम चल अचल संपति के साथ इन खेतों पर भी खातेदार हो गयी। परंतु सेटलमेंट में गलती से ख.न. 128 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जिसको बिना वादीनी या देवा पुत्र केसा को सुने ही रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ख.न. 127, 132 व ख.न. 436 रकबा क्रमशः 9–03 व 13–12 बीघा व 30–07 बीघा कुल जमीन 53–02 बीघा का परचा लगान सं. 01 देवा पुत्र केसाराम कुम्हार नि. श्रीबालाजी (भग्गु) के नाम से जारी हो गया और इसी खसरा का पुरानापट्टा भी ग्राम भग्गु तहसील नागौर का सहायक रिकार्ड अधिकारी ने देवा पुत्र केसाराम जाति कुम्हार सा. देह को खातेदार घोषित करते

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

हुए जारी किया हुआ था दोनों पट्टो की नकलात व नक्शा इस वाद के साथ पेश है।

3. यह है कि ख.न. 436 पूर्व में 30 बीघा 7 विस्वा था जो नए सेटलमेंट में 30 बीघा बना। पुराना नं. 189 था उसके नये खसरा न. 437 बने जिसमें से 7 बीघा जमीन ख.न. 436 की ख.न. 437 में परिवर्तित हो गयी परंतु पूर्व में कब्जा देवाराम पुत्र केसाराम कुम्हार व उसके फौतगी के बाद वादीनी का आज दिन तक चला आ रहा है। देवाराम वृद्ध था एवं वादीनी एक अनपढ़ गांव की अनुसूचित जाति की महिला होने से इस बाबत उसको पूरी जानकारी नही थी और ख.न. 437 जो रेल्वे की खातेदारी में है। यह जमीन वास्तव में वादीनी के कब्जा में थी व है, परंतु खाता में रेल्वे के दर्ज कर दी। जबकि वास्तव में कब्जा कभी भी उत्तर रेल्वे या उत्तर पश्चिम का नही रहा व न ही है। इस बाबत प्रकरण सं. 86/96 मैना देवी बनाम सरकार, सहायक जिलाधीश, नागौर की अदालत में प्रस्तुत वाद में नियुक्त कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है जो मौका रिपोर्ट रामकिशोर भू–अभिलेख, अलाय व भू–अभिलेख श्रीबालाजी व पटवारी श्रीबालाजी ने मौके पर जाकर नाप चौक कर रिपोर्ट पेश की जिसमें कब्जा वादीनी का पाया गया था।

4. यह है कि वादीनी के कब्जे में पूर्व में जब उत्तर रेल्वे के कर्मचारियों ने दखल दिया तब उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में अंतर्गत धारा 128 ले.रेव. एक्ट के तहत आवेदन पत्र पेश हुआ जिसमें उपखण्ड अधिकारी नागौर ने नायब तहसीलदार हनुमानसिंह को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जो प्रकरण सं. 30/77 मैनादेवी बनाम जनरल मेनेजर उत्तर रेल्वे व पत्रावली सं. 21/87 में उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने 14.03.80 को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जिसकी रिपोर्ट से भी कब्जा वादीनी का ख.न. 437 रकबा 7 बीघा पर पाया व उस रिपोर्ट पर रेल्वे कर्मचारियों के हस्ताक्षर है यानि उनके सामने नापा गया है। एवं उसी के आधार पर नायब तहसीलदार नागौर ने सीमांकन कर पत्थरगढी की व उसी के अनुसार उपखण्ड अधिकारी नागौर ने तारीख 22.04.83 को वादीनी मैनादेवी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। तभी से लेकर आज तक वादीनी का कब्जा काश्त ख.न. 437 रकबा 7 बीघा पर आज तक बेराकटक चला आ रहा है। ख.न. 128 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा पर मौके पर कोई रास्ता नही है व जमीन काबिल काश्त की है इस बात की पुष्टि भी उक्त वाद में नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से भली भांति साबित होती है।

5. यह है कि इसके बावजूद भी चूंकि खाते में ख.न. 128 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है व ख.न. 437 वादीनी के खाता में न होकर रेल्वे के खाता में दर्ज होने से वादीनी ने एक दावा वादीनी ने घोषणा खातेदारी का राज. सरकार मार्फत तहसीलदार नागौर के किया जो बाद सुनवायी सहायक कलक्टर (मु.) नागौर में वाद सं. 86/98 तारीख 26.03.07 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील भी वादीनी ने

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के यहां पेश कर दी, परंतु राजस्व अपील अधिकारी जी ने अपील इसलिए खारिज कर दी कि जमीन गैर मुमकिन रास्ता व रेल्वे में दर्ज है और रेल्वे को पक्षकार नही बनाया गया है। जिस पर वादीनी ने यह वाद राज. सरकार के साथ साथ उत्तर पश्चिम रेल्वे के विरूद्ध भी घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाज्मी हो गया क्योंकि राज. सरकार व रेल्वे के अधिकारी उक्त आराजी से दावा व अपील खारिज होने से बेदखल करने की कार्यवाही करेंगे क्योंकि उक्त दावा में रेल्वे पक्षकार नही थी व उसको सुना नही गया था जिससे यह दावा वादीनी की ओर से राज. सरकार के साथ उत्तर पश्चिम रेल्वे के विरूद्ध भी पेश कर रही है।

6. यह है कि उपखण्ड अधिकारी महोदय, नागौर ने अपने प्रकरण सं. 30/77 मैनादेवी बनाम जनरल मेनेजर उत्तर रेल्वे निर्णय तारीख 14.03.80 का अमल दरामद राजकीय रिकार्ड में नही किया व रिकार्ड में यथावत उत्तर रेल्वे के चला आ रहा है। वादीनी के कब्जे काश्त में किसी की और से कोई दखलंदाजी नही हो रही थी एवं वादीनी एक अनपढ़ गरीब तबके की अनुसूचित जाति की विधवा महिला है एवं 75 साल से ऊपर की वृद्धा है और राजस्व कर्मचारियों ने पहले सेटलमेंट मे व बाद मे पत्थरगढी की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे मैनादेवी के नाम से अमल दरामद नहीं किया जिससे वादीनी के हक पर काले बादल छा गए है। जिससे भी यह वाद घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती रिकार्ड का श्रीमान के यहां पेश करना लाजिमी हो गया है।
7. यह है कि वादीनी ने दिनांक 20.08.2007 को धारा 80 सी.पी.सी के एक नोटिस द्वारा जनरल मेनेजर उत्तर रेल्वे जयपुर, रेल्वे मैनेजर मण्डल रेल्वे जोधपुर (उत्तर पश्चिम) व जिला कलक्टर, नागौर को जारी कर दिया जो उनको क्रमशः 21.08.07 व 13.08.07 को प्राप्त हो गया है व जिसकी अवधि दो माह की पूरी हो चुकी है व वादीनी को कोई राहत नही देने से यह वाद पेश किया जा रहा है।
8. यह है कि बिनाय दावा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण संवत 2020 में देवा पुत्र केसा कुम्हार निवासी श्रीबालाजी का उपरोक्त आराजी का कब्जा काश्त होते हुए परचा लगान जारी किया पर उसका रिकार्ड मे अमल दरामद जारी नही हुआ व देवा पुत्र केसा कुमार श्रीबालाजी के द्वारा वादीनी के पक्ष में लिखी गयी वसीयत पर जिला न्यायाधीश मेड़ता द्वारा उसके पक्ष में प्रोबेट जारी कर दिया व देवा पुत्र केसा कुमार की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर कब्जा काश्त एकमात्र वादीनी का होते हुए भी व प्रकरण सं. 30/77 व 21/81 में उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.03.80 व निर्णय तारीख 22.04.83 में कब्जा मैनादेवी का रेल्वे अधिकारियों के समक्ष मानते हुए जारी नही किया व राजकीय रिकार्ड में अमल दरामद नही हुआ व सहायक जिलाधीश, नागौर में प्रकरण सं. 86/98 में तारीख 26.03.2007 को मैनादेवी बनाम सराकार वाद खारिज कर दिया व राजस्व अपील अधिकारी नागौर ने अपील सं. 69/07 मैनादेवी बनाम तहसीलदार निर्णय

तारीख 27.07.2007 को अपील खारिज करने से एवं कब्जा मौके पर भौतिक रूप से वादीनी का चला आने से बमुकाम नागौर पैदा हुआ जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में है।

अतः वाद वादीनी पेश कर निवेदन है कि :–

डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार की सादिर परमायी जावे कि–

(अ) कि खेत ख.न. 128 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा व ख.न. 437 रकबा 7 बीघा वाके श्रीबालाजी को वादीनी का कब्जे काश्त व खातेदारी की घोषित की जावें।

(ब) कि ख.न. 128 कि किस्म जमीन गैर मुमकिन रास्ता से हटाकर काबिल काश्त पड़ौस की जमीन बारानी स्वयं दर्ज की जाए व उसी के अनुसार लगान निर्धारित किया जावें।

(स) यह कि वादीनी के उक्त ख.न. व रकबा पर कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण स्वयं या किसी अन्य से दखलअंदाजी नही करने हेतु पाबंद किया जावें।

(द) कि अन्य अनुतोष जो लाभार्थ वादीनी हो वह भी दिलाया जाने के साथ साथ इस वाद का खर्चा भी दिलाया जावें।

2– वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से निम्नलिखित उत्तरवाद पेश किया गया–

1. यह हैं कि खेत ख.न. 128 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 437 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा सरहद मौजा करनेतपुरा में स्थित जरूर है। उक्त खसरा नम्बरान का सरहद मौजा श्रीबालाजी में स्थित होने का कथन गलत है। खसरा नम्बर 437 साबिक खसरा नम्बर 190, 62, 64, 188 से बना है। यह पूर्णरूप से गलत है कि मात्र साबिक नम्बर 189 व 65 व 70 से बना होना का कथन पूर्ण रूप से गलत है हाल खसरा नम्बर 128 जो 1 बीघा 15 बिस्वा का है जो साबिक खसरा नम्बर 66 को 15 बिस्वा भूमि व साबिक खसरा नम्बर 188 की 1 बीघा भूमि से बना है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। इस खसरा में साबिक खसरा नम्बर 70 का कोई भी भू–भाग हाल खसरा नम्बर 128 में शामिल नहीं किया गया है साबिक खसरा नम्बर 65, 189, व 70 जरूर देवा पुत्र केसा कुम्हार की खातेदारी का था, यह तथ्य लाईल्मी की वजह से अस्वीकार है कि देवाराम ने अपनी तमाम चल अचल संपति का वसियत वादी के नाम से कर दिया हो।

2. यह है कि वादपत्र का पैरा संख्या 2 जिस प्रकार से कथन किया गया है, गलत होने से अस्वीकार है उत्तरदाता की जानकारी में यह नहीं है कि देवाराम ने कोई वसियतनामा वादी के पक्ष में किया हो और उस वसियतनामा के आधार पर डी.जे. मेड़ता में चले प्रकरण संख्या 72/73 तारीख फैसला 02.12.74 में वादीनी के पक्ष में प्रोबेट जारी कर दी हो। जानकारी के अभाव में इन तथ्यों को अस्वीकार करते है। यह तथ्य भी जानकारी के अभाव में अस्वीकार है कि वादी

सहा... नागौर

देवा पुत्र केसा कुम्हार की तमाम चल अचल सम्पति की खातेदार हो गई हो। यह गलत है कि सेटलमेंट ने गलती से हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया हो, जब कि हाल खसरा नम्बर 128 साबिक खसरा नम्बर 66 व 188 से बना है। साबिक खसरा नम्बर 66 व 188 साबिक सेटलमेंट के दौरान भी गांव के मार्ग व पगडंडिया ही दर्ज रहे थे। यह गलत है कि वादी व देवा को सुने बिना ऐसा परिवर्तन करने का अधिकार पेमाईशकर्ताओं को न रहा हो। खसरा नम्बर 127, 132, 436 रकबा क्रमशः 9 बीघा 3 बिस्वा, 13 बीघा, 12 बिस्वा, 20 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 53 बीघा व 2 बिस्वा का पर्चा लगान देवा पुत्र केसा कुम्हार के नाम से जारी होने का कथन अस्वीकार है यह भी अस्वीकार है कि पुराना पट्टा भी इसी व्यक्ति के नाम से जारी हुआ हो। हालांकि इन खसरा नम्बरान से संबंधित यह दावा भी नहीं है न ही इन खसरा नम्बरान बाबत दादरसी वादी द्वारा चाही गयी है।

3. यह है कि वादपत्र का पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है हाल खसरा नम्बर 436 रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा व नये सेटलमेंट में 30 बीघा का बना दिया की जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है।

यह कथन गलत होने से अस्वीकार है कि पुराना खसरा नम्बर 189 था जिसका नया नम्बर 437 बना हो और जिसके 7 बीघा जमीन खसरा नम्बर 436 खसरा नम्बर 437 में परिवर्तित हो गयी हो। हाल खसरा नम्बर 437 रेलवे की भूमि है जिस पर पूर्व में देवाराम का कब्जा होने का कथन व उसकी फौतगी के बाद वादीनी का आज दिन तक कब्जा होने की बात गलत होने से अस्वीकार है। जब कि यह भूमि खसरा 437 रेलवे की सम्पति है इस पर बखूबी कब्जा रेलवे का शुरू से आज दिन तक रहता चला आया है। देवाराम पी डब्ल्यू डी का नौकर था। यह गलत है कि वादीनी एक अनपढ़ गांव की अनुसूचित जाति की महिला होने से इस बाबत उसे कोई जानकारी नहीं रही हो कि खसरा नम्बर 437 जो कि रेलवे की खातेदारी में है यह कथन गलत है कि यह जमीन वास्तव में वादीनी के कब्जे में थी व हो, परन्तु खाते में रेलवे की दर्ज कर दी हो। यह गलत है कि वास्तव में कब्जा कभी भी उ.रे. या उ.प.रे. का नहीं रहा हो व न ही आज दिन हो। यह गलत है कि वाद संख्या 86/96 मैनादेवी बनाम सरकार सहायक कलक्टर नागौर की अदालत में प्रस्तुत वाद में मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी कोई पुष्टि होती हो। यह गलत है कि मौका कमिश्नर की मौका रिपोर्ट में कब्जा वादीनी का पाया हो।

4. यह है कि वाद पत्र का पैरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि वादीनी के कब्जे में पूर्व में जब उत्तर रेलवे के कर्मचारियों ने दखल किया तब उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में धारा 128 राज.ले.रे.एक्ट के तहत आवेदन पत्र पेश किया हो। उक्त प्रकरण संख्या 30/77 मैनादेवी बनाम जनरल मेनेजर उ.रे. व प्रकरण संख्या 21/87 उपखण्ड अधिकारी नागौर में नियुक्त

कमिश्नर रिपोर्ट में वादीनी का कब्जा खसरा नम्बर 437 रकबा 7 बीघा पर पाया गया हो। धारा 128 राज.ले.रे.एक्ट की पत्रावली में नाप चौप का विवाद व नक्शे के मुताबिक मुड्डाबंदी करने का मात्र रहा था। यह गलत है कि उक्त रिपोर्ट में रेलवे कर्मचारियों के हस्ताक्षर रहे हो और सामने नाप करने की बात सही है। यह गलत है कि नायब तहसीलदार नागौर ने खसरा नम्बर 437 की 7 बीघा भूमि वादी के हक में रखकर कोई मुड्डाबंदी की हो। खसरा नम्बर 437 संपूर्ण रकबा उत्तर दाता प्रतिवादी रेलवे के कब्जे में शुरू से आज दिन तक रहता चला आया है। नायब तहसीलदारजी नागौर ने भो नक्शे के मुताबिक पत्थरगढ़ी की थी उसी अनुसार उपखण्ड अधिकारी का फैसला मुड्डाबंदी का किया गया था। यह गलत है कि तब से लेकर आज दिन तक वादी का कब्जा खसरा नम्बर 437 की 7 बीघा भूमि पर रहता चला आया हो। खसरा नम्बर 128 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर मौके पर कोई रास्ता नहीं होने व जमीन काबिल काश्त होने का कथन पूर्ण रूप से गलत है। यह गलत है कि इस बात की पुष्टि नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से भली भांति होती हो।

5. यह है कि वाद पत्र का पैरा संख्या 5 जिस प्रकार कथन किया है गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 128 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 437 रेलवे के खाते में दर्ज होने का कथन सही है। वादीनी ने एक दावा घोषणा खातेदारी का राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार नागौर के किया जो दावा संख्या 86/98 दिनांक 26.03.07 को खारिज हो गया व उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के यहां प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 69/07 निर्णय दिनांक 27.07.07 भी खारिज होने का कथन सही है परन्तु यह कथन गलत है कि अपील इसलिए खारिज कर दी गई हो कि जमीन गैर मुमकिन रास्ता व रेलवे में दर्ज है व रेलवे को पक्षकार नहीं बनाया गया हो परन्तु उक्त दावा व अपील इसलिए खारिज कर दी गई थी कि वाद ग्रस्त भूमि पर वादी व अपीलार्थी को खातेदारी हक प्राप्त नहीं हो सकते। वादी ने यह दावा उत्तर पश्चिम रेलवे व कलक्टर नागौर के विरूद्ध घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा का पेश जरूर किया है परन्तु गलत व निराधार है। यह कथन गलत है कि राजस्थान सरकार व रेलवे अधिकारी वादग्रस्त आराजी से अपील व दावा खारिज होने से वादी को बेदखल करेगें जब कि मौके पर वादी का कोई कब्जा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी ने गलत तथ्यों पर आधारित झुठा दावा उत्तर दाता रेलवे को पक्षकार बनाकर पेश किया है। जो काबिल खारिज होने के है। वादी वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी हक की घोषणा करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी प्राप्त करने की कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

6. यह है कि वाद पत्र का पैरा संख्या 6 जिस प्रकार कथन किया है गलत होने से अस्वीकार है। उपखण्ड अधिकारी महोदय, नागौर का प्रकरण संख्या 30/77 मैनादेवी बनाम जनरल मेनेजर उत्तर रेलवे निर्णय तारीख 14.03.80, 128 राज.ले.

नागौर

रे.एक्ट से संबंधित रहा था जिसमें नक्शों के मुताबिक मात्र मुड्डाबंदी ही जाती है किसी भी पक्षकार के हक निर्धारण नही किये जाते न ही उक्त फैसले में वादीनी नें हकों की घोषणा वादग्रस्त भूमि बाबत किया गया था। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद न करने का कथन पूर्ण रूप से गलत है। यह गलत है कि विवादित भूमि वादिनी के कब्जे काश्त में रही हो और 75 के ऊपर की वृद्धा होने से पत्थरगढ़ी की पालना में राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से अमल दरामद न करा सकी हो। वादिनी ने यह वाद पूर्ण रूप से गलत न निराधार पेश किया है, जो काबिल खारिज होने के है।

7. यह है कि वाद पत्र का पैरा नं. 7 जिस प्रकार कथन किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। वादिनी की तरफ से दिया गया नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. जरूर उत्तरदाता को प्राप्त हुआ था परन्तु उस नोटिस में चाही गई दादरसी न तो वादिनी प्राप्त करने की हकदार है, न ही ऐसी दादरसी दिया जाना न्यायोचित रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस में चाही गई दादरसी गैर कानूनी होने से संभव नही रहा। वादिनी ने यह वाद गलत ढंग से पेश किया होने से खारिज होने योग्य है।

8. यह है कि वाद का पैरा सं. 8 जिस प्रकार से कथन किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। सम्वत् 2020 में देवा पुत्र केसा कुम्हार निवासी श्रीबालाजी का उपरोक्त आराजी का कब्जा काश्त होते हुए पर्चा लगान जारी किया हो व उसका रिकार्ड में अमल दरामद नही हुआ हो व देवा द्वारा वसीयतनामा वादी के पक्ष में लिखा जाने पर डी.जे. कोर्ट मेड़ता द्वारा वादी के पक्ष में प्रोबेट जारी होने से व देवा की मृत्यु पश्चात वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त रहता चला आया हो, कहना गलत है। प्रकरण सं. 30/77 व 21/81 में उपखण्ड अधिकारी नागौर का आदेश दिनांक 14.03.80 व निर्णय दिनांक 22.04.83 वादग्रस्त भूमि. का कब्जा वादिनी का माना हो कहना गलत है। यह गलत है कि वादिनी के पक्ष में कभी कोई वाद घोषणा खातेदारी का निर्णय हुआ हो। यह सही है कि नागौर उपखंड अधिकारी व सहायक कलक्टर कोर्ट में प्रकरण संख्या 86/98 वादग्रस्त भूमि से संबंधित घोषणा खातेदारी बाबत किया गया था जो दिनांक 26.03.2007 को वाद खारिज हो गया था जिसकी अपील सं. 69/2007 भी राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा खारिज कर दी गई। यह गलत है कि उक्त अपील खारिज होने से व मौके पर कब्जा भौतिक रूप से वादी का होने से बिनाय वाद वादी के हक में पैदा हुआ हो। वादी के हक में कोई बिनाय वाद पैदा नही हुआ न ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा है। ऐसी स्थिति में वाद वादी खारिज होने योग्य है।

9. यह है कि वाद पत्र का पैरा सं. 9 जिस पर कथन किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि वादिनी का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर गत 70 साल से बेरोकटोक चला आ रहा हो। यह भी गलत है कि प्रतिवादीगण की ओर

सह... नागौर

से कभी भी किसी तरह की बेदखली की कार्यवाही वादीनी के विरूद्ध नही की हो। वादिनी ने जब जब भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया उत्तरदाता प्रतिवादी रेल्वे विभाग द्वारा हटा दिया गया। वादीनी द्वारा 2–3 बार ही कब्जा करने का असफल प्रयास किया था इसके अलावा कभी वादिनी का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा। यह गलत है कि वादिनी का एडवर्स परेशान भी है जिससे आराजी पर वादिनी खातेदारी हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारीणी हो।

10. यह है कि वादपत्र का पेरा सं. 10 कोर्ट फीस से संबंधित है कानूनन होने से काबिल गौर अदालत है।

वादिनी द्वारा वाद प्रस्तुत कर दादरसी चाही गई है कि ख.न. 128 रकबा 1–15 बीघा व ख.न. 437 रकबा 7–00 बीघा उसके कब्जे काश्त खातेदारी का घोषित किया जावे। उक्त दादरसी प्राप्त करने की वादिनी कतई हकदार नही है न ही ऐसी राहत दिया जाना कानूनन संभव है। साथ ही ख.नं. 128 गैर मुमकिन रास्ता की किस्म बारानी दर्ज करने की राहत चाही है वह भी वादिनी प्राप्त करने की हकदार नही है। वादग्रस्त भूमि ख.न. 128 रास्ता के रूप में मौके पर है तथा राजस्व रेकर्ड मे भी रास्ता है व ख.न. 437 रेल्वे की सम्पत्ति है, जो राजस्व रेकर्ड में रेल्वे की भूमि दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादिनी इन खसरा नंबरो के बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नही है।

अतिरिक्त अनुच्छेद

1. यह है कि ख.न. 128 सार्वजनिक रास्ता की भूमि है व ख.न. 437 भारत सरकार द्वारा धारित की गई भूमि गैर मुमकिन रेल्वे लाईन व रेल्वे विभाग की है। ऐसी स्थिति में दोनों ही भूमिया सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है तथा इन भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नही हो सकते। आर.टी. एक्ट की धारा 16 ऐसी भूमियों पर खातेदारी हक देने से डिब्बार करता है।
2. यह है कि वादी का विवादित भूमि ख.न. 128 रकबा 1–15 बीघा व ख.न. 437 रकबा 7–00 बीघा की खातेदारी हक भी घोषणा करने हेतु दावा सं. 86/98 तारीख फैसला 26.03.07 मैनादेवी बनाम तहसीलदार नागौर सहायक कलक्टर मुख्यालय द्वारा निर्णित होकर खारिज हो चुका है तथा उक्तवाद की अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा अपील सं0 69/07 दिनांक 27.07.07 को अपील खारिज हो चुकी है। इस प्रकरण में यह तथ्य कि ख.न. 128 रकबा 1–15 बीघा व ख.न. 437 रकबा 7–00 बीघा क्रमशः गैर मुमकिन रास्ता व गैर मुमकिन रेल्वे की भूमि दर्ज है, तथा गैर मुमकिन रास्ता व रेल्वे की भूमि उसमें किसी प्रकार खातेदारी अधिकार हक प्राप्त नही किया जा सकता ऐसी स्थिति में इस बिन्दु को न्यायालय ने पूर्ववृति वाद में निर्णीत कर दिया है। ऐसी सूरत में यह दावा रेस्टज्युडिकेटा के सिद्धांत से निसिद्ध होने से चलने योग्य नही है।

नागौर

3. यह है कि वादग्रस्त सम्पति ख.न. 437 जिसके साबिक सेटलमेंट के ख.न. 190 रकबा 16–18 बीघा, ख.न. 62 रकबा 0–04 बीघा, ख.न. 64 रकबा 0–05 बीघा ख.न. 188 रकबा 0–05 बीघा कुल रकबा 17–12 बीघा का नया नम्बर 437 बना है। इन साबिक नम्बरों में भी कभी वादी या उसके वसीयतकर्त्ता देवा पुत्र केसा का कब्जा काश्त या खातेदारी नही रही। ऐसी सूरत में भी वादिनी का यह वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है तथा वादीनी रेकोर्डेड खाताधारी उत्तरदाता रेल्वे विभाग के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी प्राप्त करने का कोई हक अधिकार वादीनी को प्राप्त नही है।

अतः उत्तर जवाब दावा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी का वाद मय खर्चा खारिज किया जाने की कृपा करावें।

3. वाद व उत्तरवाद के आधार पर दिनांक 11.12.2015 को निम्नानुसार तनकी कायम की गई–

1. आया ग्राम श्रीबालाजी के ख.न. 128 रकबा 1–15 बीघा व ख.न. 437 रकबा 7–00 बीघा भूमि वादीनी की खातेदारी घोषित की जावे व ख.न. 128 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि वादीनी के नाम दर्ज की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने की हकदार है।

– जिम्मेवादीनी

दिनांक 28.01.2016 को वादिनी ने शपथ–पत्र (P.W.-1) पेश करते हुए दावे के कथनों को दोहराया तथा 02.03.15 को रेकर्ड प्रदर्शित करवाते हुए जिरह वकील प्रतिवादी में बताया कि "यह सही है कि ख.न. 128 साबिक ख.न. 66 व 188 से बना है। यह सही है कि पुराना ख.न. 66 व 188 रास्ता था व अब भी रास्ता है। मौजुदा ख.न. 437 रकबा 17–12 बीघा गै. मु. रेल्वे लाईन की भूमि होना गलत है। यह सही है कि ख.न. 437 पुराने ख.न. 190, 62, 64, 188 से बना है। ख.न. 64 व 188 मार्ग होना तो सही है पर पूरी जमीन मार्ग की नही थी। यह मुझे पता नही कि साबिक ख.न. 64 व 188 रास्ता के रूप में खातेदारी में दर्ज रही हो। यह गलत है कि पुराना ख.न. 190 रेल्वे की भूमि रही हो तथा रेल्वे खाते में दर्ज रही हो। पुराना ख.न. 62 रेल्वे बाऊण्डरी व रेलवे की जमीन रही हो तो मुझे पता नही। यह भी मुझे पता नही कि रेल्वे के खाते में दर्ज रही हो। यह मुझे पता नही कि हाल ख.न. 128 गै.मु. रास्ता व 437 गै.मु. रेल्वे लाइन की खातेदारी मे दर्ज हो रखा हो। यह गलत है कि मैनें गै.मु. रास्ते की जमीन पर गलत कब्जा कर रखा हो। यह मेरी जानकारी में नही है कि जिस जमीन का मैंने दावा किया वह जमीन आज या आज से पहले कभी भी रेल्वे या रास्ते के अलावा अन्य के खातेदारी में दर्ज नहीं रही हो। यह गलत है कि जिस जमीन का मैनें दावा किया रेल्वे व रास्ते की हो। यह गलत है कि मैं गलत ढंग से रास्ते की जमीन बोती हूँ

नागौर

तथा यह दावा मैंने गलत किया हो। यह सही है कि पहले मैंने दावा किया था वो खारिज हो गया उसमें रेल्वे पार्टी नही थी तहसीलदार पार्टी था इसी जमीन का दावा था।"

P.W.-2 डूंगरसिंह पुत्र तखतसिंह ने अपने शपथ–पत्र दिनांक 28.01.2016 को स्वीकार करते हुए जिरह वकील प्रंतिवादी ने कहा कि "मैं 68 वर्ष का हूँ। जहां वादी बैठी है वहां रेल्वे के पुराने थाने की भूमि है जो भूमि रेल्वे बाऊण्डरी की है। यह सही है कि रेल्वे ने इन्हें हटाने के प्रयास किया है। यह सही है उसके खिलाफ सही कानूनी कार्यवाही करके नही हटाया गया है। यह सही है ये दादा करने से रेल्वे वाले रूके हुए है। मेरे खेत के पूर्वी तरफ रेल्वे बाऊण्डरी लगती है। यह गलत है कि कटाणी रास्ता की भी भूमि हो। खुद का खेत वादीनी ने बेच दिया। पहले यह अपने खेत में रहती थी। खेत बेचे हुए 15 वर्ष हो गये है। यह गलत है कि मैं वादीनी के पक्ष में झुठा गवाह बन कर आया है। यह सही है कि आज का भाड़ा वादीनी ने दिया"

P.W.-3 केसाराम पुत्र पाबूराम ने दिनांक 11.02.2016 को शपथ–पत्र पेश किया तथा स्वयं के हस्ताक्षर अंगूठे स्वीकार करते हुए जिरह द्वारा वकील प्रतिवादी में कहा कि "यह सही है कि मैना देवी वादिनी ने 8–10 वर्ष पूर्व खेत बेचा था अज खुद कहा कि कितना बेचा मुझे जानकारी नही है। जो खेत रेल्वे लाइन से अगूंणी तरफ था। यह सही है कि रेल्वे लाइन की पूर्वी तरफ रेल्वे की जमीन में रेल्वे के पुराने थाने का भवन भी है। यह सही है कि उस थाने के चारों तरफ रेल्वे की जमीन है। मेरा खेत अगूणी तरफ है। मैंने मेरे खेत का नक्शा नही देखा। मुझे मेरे खेत के ख.न. याद नही है। यह सही है कि मेरे खेत के पश्चिम तरफ रेलवे की जमीन है रेल्वे की जमीन पर मैना को मैंने काश्त करते हुए देखा है यह मुझे पता नही कि रेल्वे ने वादिनी को हटाने की कार्यवाही की तब दावा किया हो। यह मुझे पता नहीं कि मैना ने रास्ते व रेल्वे की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हो। यह जानकारी नही है कि यह दावा होने से उसे बेदखल नहीं कर पाये हो। यह सही है कि मैना आज मुझे लेकर आई है तथा किराया उसी ने दिया है।"

प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही करने से उभय पक्ष की बहस दिनांक 16.02.2021 को सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 (प्रदर्श–10) में खाता संख्या 39 के अनुसार देवाराम पुत्र केसाराम कौम कुम्हार सा देह ख.न. 65 रकबा 5–06, ख.न. 70 रकबा 13–12 बीघा व ख.न. 189 रकबा 13–01 बीघा कुल 3 रकबा 31–19 बीघा तथा सम्वत 2020 से 2039 की खतौनी बंदोबस्त में भूमि कम कर दी गई। तीनों खेत पास–पास स्थित है तथा बीच में दो रास्ते रेकर्ड में होने से तीन खसरे हो गये। वर्तमान ख.न. 128 का रकबा 1–15 बीघा व वर्तमान ख.न. 437 का रकबा 7–00 बीघा पहले उनके खसरे व नक्शे में शामिल था लेकिन अब रास्ते व

रेल्वे के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकी मौके पर वादी व उंससे पूर्व देवाराम के कब्जे काश्त में था तथा आज भी भौतिक रूप से कब्जा वादीनी का है। वर्तमान ख.न. 128 पूर्व ख.न. 189 व 65 व 70 से तथा वर्तमान ख.न. 437 पूर्व ख.न. 190 से बना है। पहले ये खेत देवा पुत्र केसा जाति कुम्हार निवासी श्रीबालाजी की खातेदारी के थे। देंवाराम की वसीयतधारी वादीनी है अतः उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि घोषित की जावें। पहले दावा में रेल्वे को पक्षकार नही बनाने से वाद खारिज हो गया तथा यह भूमि नायब तहसीलदार नागौर ने भी रेल्वे के कर्मचारियों की मौजूदगी में माप कर हमें बताई है तथा उन्होनें हमारा कब्जा काश्त माना है।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कहा कि देवा पुत्र केसा की खातेदारी की भूमि कम नही हुई है तथा न ही कोई नक्शा गलत बनाया गया है। वादीनी ने रेल्वे की भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा रेल्वे की भूमि हडपने के लिए झुठा, मनगंढत व बे बुनियाद दावा पेश किया गया है। सार्वजनिक भूमि पर दावा कानूनी रूप से भी खारिज योग्य है। रेकर्ड से यह कही भी साबित नही होता है कि पहले यह भूमि देवा पुत्र केसा की खातेदारी की थी लेकिन सम्वत 2020 के सेटलमेंट में भूमि का गलत नक्शा बना कर रेल्वे या रास्ते के रूप में दर्ज कर दी हो। जिस ख.न. 128 व 437 मे से भूमि का दावा लाया गया है वह भूमि पहले कभी देवा पुत्र केसा के नाम नही रही है यह भूमि रेल्वे व रास्ते की थी तथा वर्तमान में भी है। पहले पत्थरगढ़ी का केस किया था जिसको वादीनी दावा बताकर हक जता रही है तथा पहले किया गया दावा विचारण व अपील दोनों न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया था। पुनः जमीन हड़पने के लिए झूठा व विधि विरूद्ध दावा लाया गया है। वादीनी के गवाह स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह नहीं है तथा उनका साक्ष्य रेकर्ड के विपरीत है तथा अविश्वनीय है। रेल्वे की भूमि के बीच पुराना थाना बना हुआ है तथा खुली पड़ी भूमि हड़पने के लिए बिना कोई आधार के दावा लाया गया है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 से 2039 (प्रदर्श–9) से भी दावा साबित नही होता है। अतः दावा सव्यय खारिज किया जावें।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2054–57 खाता स. 470 केन्द्रीय सरकार द्वारा धारण की गई भूमिया ख.न. 437 रकबा 17–12 बीघा गै.मु. लाइन तथा खाता 1 सरकारी खाता ख.स. 128 रकबा 1–15 बीघा गै.मु. रास्ता दर्ज है जिसमें से क्रमशः 7–00 बीघा व 1–15 बीघा कुल 8–15 बीघा का दावा वादीनी ने अपनी खातेदारी का घोषित करवाने का पेश किया है तथा यह भी अंकित किया है कि ख.न. 437 उसके पूर्व ख.न. 190 से बना है तथा ख.न. 128 उसके पूर्व ख.न. 189, 65, 70 से बना है लेकिन वादिनी द्वारा ही प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल

नागौर

(प्रदर्श–9) के अनुसार पुराने खसरों से बने नये खसरे रकबा निम्न अनुसार पाया जाता है–

सम्वत 2011–14 की जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 39 (प्रदर्श–10)

देवाराम पुत्र केसाराम	65	5–06
जाति कुम्हार सा. देह	70	13–12
खातेदार	189	13–01
योग	3	31–19

प्रदर्श–9 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020–39:–

गत प्रदर्श–10		वर्तमान प्रदर्श–9	
ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा
190	16–18 बीघा		
62	4 बिस्वा	437	17–12 बीघा
64	5 बिस्वा		
188	5 बिस्वा		
योग	17–12 बीघा		
66	15 बिस्वा		
188	1–00	128	1–15 बीघा
योग	1–15 बीघा		

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा पेश किये गये दावे के वर्तमान ख.न. 128 रकबा 1–15 बीघा 437 मे से रकबा 7–00 बीघा पूर्व खातेदार देवा पुत्र केसा की खातेदारी के ख.न. 65, 70 व 189 से नही बने है। वादी को साबित करने हेतु सृजित की गई तनकी सं. 1 "आया ग्राम श्रीबालाजी के ख.न. 128 रकबा 1–15 बीघा व 437 रकबा 7–00 बीघा वादीनी की खातेदारी घोषित की जाय" की पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी नकल सम्वत 2011–14 (प्रदर्श–10) व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020–39 (प्रदर्श–9) से नहीं होती है। अतः दावा वेबुनियाद व अनावश्क विधि द्वारा पोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार दावा खारिज की डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक **26.02.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर